

उत्तर प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा अनुभाग-3  
संख्या-3126 / सत्तर-3-2021  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-3125 / सत्तर-3-2021-07(20) / 2015, दिनांक 29.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2021 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1064
- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
  - (2) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
  - (3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
  - (4) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
  - (5) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - (6) निजी सचिव, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - (7) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - (8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - (9) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - (10) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - (11) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
  - (12) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
  - (13) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
  - (14) समस्त अधिकारी / अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग।
  - (15) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
  - (16) गार्ड फाइल।

*Me*  
(अब्दुल समद)  
विशेष सचिव।

PR (Aff) / MC website  
for wide circulation  
29/12/2021  
एकुल सचिव

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग-3**  
**संख्या-3125 / सत्तर-3-2021-07(20) / 2015**  
**लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021**

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2015 को अवकाशित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2021**

**1- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-**

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2021 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2- परिभाषायें:-** इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (अ) पुरस्कार का तात्पर्य नियम-3 में निहित पुरस्कार से है।
- (ब) समिति का तात्पर्य नियम-7 में निहित चयन समिति से है।
- (स) 'शिक्षक' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों से है।

**3- पुरस्कार के प्रकार:-** पुरस्कार का नाम, संख्या और राशि / विवरण निम्नलिखित

तालिका के अनुसार होंगे:-

क्र० सं०	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
1	'सरस्वती' पुरस्कार	कला, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धन और साहित्य के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध कार्य एवं निर्देशन द्वारा ज्ञान के लिये महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुल 09 शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:- (क) राज्य विश्वविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी-1 शिक्षक। (ख) राजकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी-1 शिक्षक। (ग) सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी-1 शिक्षक।	1-प्रशस्ति पत्र 2-रु 3,00,000/- 3-प्रतीक चिन्ह
2	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और नवीन शिक्षण कार्य में उच्च स्तरीय योगदान देने वाले राज्य विश्वविद्यालयों के 06 शिक्षकों को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी-2 शिक्षक।	1-प्रशस्ति पत्र 2-रु 1,50,000/- 3-प्रतीक चिन्ह
3	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और अध्यापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजकीय महाविद्यालयों में से 03 शिक्षक को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी-1 शिक्षक।	1-प्रशस्ति पत्र 2-रु 1,50,000/- 3-प्रतीक चिन्ह
4	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और अध्यापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय	1-प्रशस्ति पत्र 2-रु 1,50,000/-

		महाविद्यालयों में से 03 शिक्षक को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी-1 शिक्षक।	3-प्रतीक चिन्ह
5	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्ववित्तपूर्ण अधिकारी विभाग के 03 शिक्षक को 'शिक्षक श्री' पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी-1 शिक्षक।	1-प्रशस्ति पत्र 2-₹0 1,50,000/- 3-प्रतीक चिन्ह
विषयवार वर्गीकरण :- श्रेणी-1 विज्ञान वर्ग के शिक्षक। श्रेणी-2 कला, मानविकी शिक्षा, साहित्य के शिक्षक। श्रेणी-3 वाणिज्य प्रबन्धन, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक।			

#### 4- पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु समय-सारणी :-

(1) चयन समिति का सदस्यसचिव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र आमन्त्रित करेगा :-

(अ)	आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि	30 अप्रैल
(ब)	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	15 जून
(स)	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में निदेशालय परीक्षण समिति द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण की तिथि	20 जून
(द)	आवेदन पत्रों को निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	30 जून
(ए)	राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय की अन्तिम तिथि-	25 जुलाई
(र)	पुरस्कार घोषणा की तिथि	15 अगस्त
(ल)	पुरस्कार वितरण की तिथि	05 सितम्बर

(2) पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र चयन समिति के सदस्यसचिव के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष/विश्वविद्यालय के कुलसचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें कि वह विश्वविद्यालय/संस्था का नियमित शिक्षक है।

#### 5- चयन का आधार :- सरस्वती एवं शिक्षक श्री पुरस्कार हेतु चयन का आधार निम्नवत् होगा:-

(1) यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्यविश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों को ही प्रदान किया जायेगा।

(2) यह पुरस्कार केवल शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को ही प्रदान किया जायेगा।

(3) यह पुरस्कार सेवा निवृत्त शिक्षक को नहीं प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक एक सत्र में केवल एक ही पुरस्कार(सरस्वती/शिक्षक श्री ) के लिये आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक पुरस्कार के लिये आवेदन करने पर आवेदन पत्र केवल एक पुरस्कार हेतु ही मान्य होगा।

- (4) (1) "सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पुनः "सरस्वती" पुरस्कार हेतु अथवा "शिक्षक श्री" पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे। "शिक्षक श्री" पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी 03 वर्ष बाद "सरस्वती" पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे, परन्तु उक्त अभ्यर्थी पुनः "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।"
- (4) (2) पुरस्कार हेतु पात्र शिक्षक, कुलपति/प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की समस्त कार्यवाही निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यवहृत की जायेगी।
- (5) पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र कुलपति/कुलसचिव की संस्तुति के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। कुलपति/कुलसचिव की संस्तुति के बिना प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (6) शिक्षक पुरस्कार हेतु शिक्षक का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित ₹०पी०आई० स्कोर के आधार पर किया जायेगा।
- (6) (1) शिक्षक श्री पुरस्कार हेतु न्यूनतम 750 ₹०पी०आई० अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्र होंगे तथा सरस्वती पुरस्कार हेतु न्यूनतम 1000 ₹०पी०आई० प्राप्त करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे।
- (6) (2) सन्दर्भगत वर्ष की ₹०पी०आई० को वेटेज दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत मानक निर्धारित किया गया है :-
- (क) सम्पूर्ण सेवा अवधि में दिए गए योगदान हेतु 70 प्रतिशत।
  - (ख) संदर्भगत वर्ष में किए गए योगदान हेतु 25 प्रतिशत।
  - (ग) ₹०प्र० उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में शिक्षक द्वारा किए गए योगदान हेतु 05 प्रतिशत।
  - (घ) पुरस्कार सम्बन्धी ₹०पी०आई० की गणना करते समय ₹०जी०सी० के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
- (7) परीक्षण समिति (Screening Committee) द्वारा अपात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों को निरस्त करके केवल पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों को ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।

- 6— परीक्षण समिति:-** निदेशालय स्तर पर एक परीक्षण समिति (Screening Committee) गठित की जायेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों के रूप में गठित होगी—
- |  |   |         |
|--|---|---------|
| (अ) निदेशक, उच्च शिक्षा, ₹०प्र०, इल हाबाद                                    | — | अध्यक्ष |
| (ब) निदेशक, उच्च शिक्षा, द्वारा नामित राजकीय महाविद्यालय का वरिष्ठ प्राचार्य | — | सदस्य   |
| (स) शासन द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर/शिक्षाविद           | — | सदस्य   |

- 7— चयन समिति :-** उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षकों का चयन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नलिखित सदस्यों के रूप में गठित होगी—
- |   |   |         |
|---|---|---------|
| (अ) मुख्य सचिव, ₹०प्र० शासन                         | — | अध्यक्ष |
| (ब) सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ₹०प्र०शासन | — | सदस्य   |
| (स) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके              |   |         |

द्वारा नामित अधिकारी।	- सदस्य
(द) शासन द्वारा नामित विश्वविद्यालयों के 02 कुलपति / राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के शिक्षाविद	- सदस्य
(य) सदस्य, उ०प्र०, राज्य उच्च शिक्षा परिषद	- सदस्य
(र) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद	- सदस्य सचिव
चयन समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार है, जब वह आवश्यक समझे, परन्तु बैठक के सम्बन्ध में 10 दिन पूर्व बैठक की सूचना देना अनिवार्य होगा।	

**8— चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदनः—** उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(1) उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया जाना अपरिहार्य होगा।

(2) सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान एक से अधिक पुरस्कार पाने की दशा में भी केवल 02 वर्ष का एक बार सेवा विस्तार ही अनुमन्य होगा तथा इसके अतिरिक्त सत्रान्त का लाभ भी इन्हें अनुमन्य होगा।

**9— बजट :-** पुरस्कार की धनराशि हेतु बजट व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित आय-व्ययक के अन्तर्गत की जायेगी।

**10— वार्षिक रिपोर्ट :-** सदस्यसचिव द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और चयन समिति के अनुमोदन तथा सत्यापन के लिये प्रस्तुत की जायेगी।

**11— विविध :-** नियमावली के किसी नियम में, जब जिस प्रकार की आवश्यकता हो, मा० मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से परिवर्तित/परिवर्धित किया जा सकेगा।

आज्ञा से  
३८  
१७/५॥  
( मोनिका एस. गर्फ )  
अपर मुख्य सचिव।